

प्रारूप " घ "

देखिये नियम 10 (4)

कार्यालय विहित प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर


क्रमांक /रूपा0 / 2019 /

दिनांक

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

श्री कृष्ण विधा मंदिर समिति मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन)नियम, 2007 के नियम 10 (4) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं ।

1.आवेदक खातेदार अभिघारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री कृष्ण विधा मंदिर समिति मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ।	नही
3. आदेश की संख्या और दिनांक उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन	220 दिनांक 08.03.2011, औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4 संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन:	औद्योगिक से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5 संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम मनोहरपुर/ग्राम पंचायत मनोहरपुर/तहसील शाहपुरा
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 7938/8748 रकबा 0.11 है0, 7939/1 रकबा 0.14 है0, 7941/1 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टयर या वर्गमीटर में)	ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 7938/8748 रकबा 0.11 है0, 7939/1 रकबा 0.14 है0, 7941/1 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 अर्थात 5000 वर्गमीटर
6 मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर	5/- प्रतिशत
7 मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम, चालान की संख्या और दिनांक सहित:	राशि 72500/-, चालान संख्या 620 दिनांक 07.03. 2011
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर:	डीएलसी दर 900000/- का 10 प्रतिशत
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर की जमा कराई गई रकम:	जीआरएन नं. 36044971 दिनांक 17.12.2019 रुपये 172300/-


उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

10. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं
11. चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं
12. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
13. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो ।	नियमानुसार रोड सीमा छोड़कर रूपान्तरण किया गया ।

14. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा ।
 - (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
 - (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
 - (5) इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ी जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा ।
 - (6) अन्य विभागों से वांछित स्वीकृति प्रार्थना प्राप्त करेंगे ।
 - (7) आवेदक द्वारा राजस्व विभाग (ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/No.F.6(26)Rev.6/ 2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियमों के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में निर्माण करने से पूर्व विहित प्राधिकारी से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन Form G के तहत करवाना अनिवार्य है साथ ही 300 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्माण पर संवर्धी जल प्रबंधन प्रणाली बनाना भी अनिवार्य है ।
 - (8) राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 की सभी शर्तें मान्य होंगी ।

-sd/-
उप खण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
 शाहपुरा जिला जयपुर

क्रमांक/रूपा0/2019/ 1717-21

दिनांक 31-12-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील शाहपुरा।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मनोहरपुर पंचायत समिति शाहपुरा तहसील शाहपुरा।
4. श्री कृष्ण विधा मंदिर समिति मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

-sd/-
उप खण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
 शाहपुरा जिला जयपुर